सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 309/17 **निर्णय दिनांकः 12.3.2018**

1. हुणताराम पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी पहलवान का बेरा, तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 13—09—2010
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 13—09—2010 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य की खातेदारी रकबे का आवंटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक नम्बर 13 ए.डी. के मुरब्बा नम्बर 13/12 के किला नम्बर 1 ता 25 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहरबन्द बोली में

आवंटित की गई थी। अदालत मातहत द्वारा आवंटन पश्चात् उक्त भूमि का पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही रामचन्द्र पुत्र नत्थूराम कुम्हार की खातेदारी भूमि थी जिसका इंतकाल संख्या 2 दिनांक 22—07—2008 उसके नाम से दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में भी उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य की खातेदारी भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि यदि प्रकरण में एक ही भूमि को राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण दो व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई तो ऐसे मामलों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही अन्य की खातेदारी भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—09—2010 के विरूद्व अपील दिनांक 14—09—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य की खातेदारी भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—09—2010 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14—09—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहनबन्द बोली के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर मोहरबन्द बोली के तहत अधिकतम बोलीदाता होने के कारण वादगत् भूमि तहसील पूगल के चक 13 ए.डी. के मुरब्बा नम्बर 13/12 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, मोहरबन्द बोली के तहत अधिकतम बोली होने के उपरान्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश क्रमांक एफ.

12—1( )/राजस्व/उपनि/मु.बं./09/3844 दिनांक 03—09—10 के द्वारा दिनांक 10—12—2009 को मुहरबन्द बोली द्वारा भूमि नीलामी हेतु प्राप्त उच्च क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन प्रस्तावित रकबा मुहरबन्द नीलामी हेतु राजपत्र में अधिसुचित होने, क्रय प्रस्ताव आरक्षिम मूल्य के ऊपर 15 प्रतिशत से कम नहीं होने व प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं होने के आधार अपीलांट को किया गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा आंवटन की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के हक में किया गया है।

(3) अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अर्थात वर्ष 2008 में ही रामचन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार के नाम से रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को मोहरबन्द बोली के तहत नहीं किया जा सकता था। अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया जाना जो पूर्व में ही अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि थी ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(6) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित को मोहरबन्द बोली के तहत ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट उसी श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—09—2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए उसी श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर